20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

[redacted]

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. एक/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा/2018/......................

निगरानी-3079/2018/शिवपुरी/भू.रा

श्री .... द्वारा आज दि० 18/05/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 28/05/18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1. विनोद शर्मा
2. बद्रीप्रशाद पुत्रगण नंन्दकिशोर
3. रमेंश पुत्र रधुवर दयाल शर्मा
निवासीगण– ग्राम जैतपुर, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी (म.प्र)................आवेदकगण

बनाम

रामनिवास शर्मा पुत्र मोंहनलाल शर्मा
निवासी – ग्राम जैतपुर, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी (म.प्र) ....अनावेदक

(L.S. Dhakad Adv 18/5/18)

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय तहसीलदार महोदय नरवर, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 56/16–17/अ–70 में पारित आदेश दिनांक 08.05.2018 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत :–

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार पेश है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1– यहकि, अनावेदक द्वारा आवेदकगण के विरूद्व एक आवेदन पत्र म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 250 के अर्तगत यह कहते हुये प्रस्तुत किया गया कि ग्राम जैतपुर की भूमि सर्वे न. 1186 के रकवा 0.03 हैक्टेयर पर अनावेदकगण द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 56/2016–17/अ–70 पर दर्ज किया जाकर प्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थीगण द्वारा उपस्थित होकर धारा 250 के आवेदन का जवाव विधिक आपत्तियों के साथ यह कहते हुये प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अनावेदक द्वारा प्रस्तुत धारा 250 के आवेदन पत्र में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि आवेदकगण द्वारा कब्जा किस दिनांक, माह, साल, में किया गया है इस कारण प्रकरण पचलन योग्य नहीं है, हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट आवेदकगण को बिना सूंचना दिये तैयार की गयी है। इस कारण अनावेदक का आवेदन पत्र प्रचलनशील न हाने से निरस्त किया जावे।

2– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी के द्वारा प्रतिवेदन पेश किया गया

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3079/2018/शिवपुरी/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5/6/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को दिनांक 08.05.2018 को ही सभी साक्षियों की उपस्थिति हेतु तलवाना प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.05.2018 नियत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में प्रथम दृष्टया कोई न्यायिक एवं विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है, जिसमें हस्तक्षेप किया जा सके। प्रकरण का निराकरण अभी गुण-दोष पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में इस निगरानी को ग्राह्य किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	